

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा का चतुर्दश (मानसून) सत्र सत्र-विवरणिका

1. सत्र का आह्वान एवं सभा की बैठकें -

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा के चतुर्दश (मानसून) सत्र का आह्वान दिनांक - 18 जुलाई, 2014 को हुआ जिसमें दिनांक-01 अगस्त, 02 अगस्त, 04 अगस्त, 05 अगस्त एवं 06 अगस्त, 2014 को सभा की (कुल-05) बैठकें हुईं।

2. सत्र का आरम्भ -

झारखण्ड विधान-सभा का चतुर्दश (मानसून) सत्र का आरम्भ दिनांक-01.08.2014 को 11.00 बजे पूर्वा० में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के प्रारम्भिक सम्बोधन से हुआ।

3. सभा के सभापति का मनोनयन -

झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के तहत चतुर्दश (मानसून) सत्र के लिए माननीय सदस्य - (1) श्री मथुरा प्रसाद महतो (2) श्री फूलचन्द मण्डल (3) श्री रघुवर दास (4) श्री सौरभ नारायण सिंह एवं (5) श्री जनार्दन पासवान को वर्तमान सत्र हेतु सभा का सभापति मनोनीत किया गया।

4. कार्यमंत्रणा समिति का गठन -

झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के तहत चतुर्दश (मानसून) सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया - श्री शशांक शेखर भोक्ता, अध्यक्ष, सभापति तथा (1) श्री हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री (2) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री (3) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मंत्री (4) श्री अर्जुन मुण्डा, नेता प्रतिपक्ष (5) श्री प्रदीप यादव स०वि०स० एवं (6) श्री सुदेश कुमार महतो स०वि०स० सदस्य मनोनीत किये गये।

विशेष आमंत्रित सदस्य - (1) श्री गोपाल कृष्ण पातर, स०वि०स० (2) श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० (3) श्री विदेश सिंह, स०वि०स० (4) श्रीमती गीता कोड़ा, स०वि०स० (5) श्री बंधु तिकी, स०वि०स० (6) श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० (7) श्री दीपक बिरुवा, स०वि०स० (8) श्री रघुवर दास, स०वि०स० (9) श्री अरविन्द कुमार सिंह, स०वि०स० एवं (10) श्री सरफराज अहमद, स०वि०स०।

नियमानुसार माननीय अध्यक्ष महोदय समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होते हैं।

5. **कार्यमंत्रणा समिति-**

दिनांक-02.08.2014

श्री रघुवर दास, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-01.08.2014 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसपर सदन की सहमति हुई।

समिति की सिफारिशें

- (1) दिनांक-04 अगस्त, 2014 को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष वाद-विवाद।
- (2) दिनांक-06 अगस्त, 2014 को गैर सरकारी संकल्पों के पूर्व सुखाड़ की स्थिति पर विशेष वाद-विवाद।

दिनांक-04.08.2014

श्री दीपक बिरुवा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक-04.08.2014 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर सभा की सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसपर सभा की सहमति हुई।

समिति की सिफारिशें

- (1) दिनांक-05 अगस्त, 2014 को राजकीय विधेयक के उपरांत स्थानीय नीति पर विशेष वाद-विवाद।
- (2) दिनांक-06 अगस्त, 2014 को सुखाड़ पर चर्चा और गैर सरकारी संकल्प से पहले राजकीय विधेयक लिये जाय।

6. **अनुमत विधेयक -**

सभा के गत सत्र में स्वीकृत तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्न विधेयकों की प्रति सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखी गई -

क्र0 सं0	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम संख्या
1.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-01) विधेयक, 2014	28.02.2014	03/2014
2.	झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2014	14.03.2014	04/2014

7. **प्रश्नकाल -**

प्रश्न	स्वीकृत प्रश्नों की संख्या	विभाग से प्राप्त उत्तर	सदन में उत्तरित	अनागत
अल्प-सूचित	112	110	11	101
तारांकित	147	146	17	130

अतारांकित	82	--	--	--
कुल	341	256	28	231

इसप्रकार, इस सत्र में 112 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 110 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए एवं सभा में कुल 11 प्रश्न उत्तरित तथा 101 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल 147 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें कुल 146 प्रश्नों के उत्तर विभाग से प्राप्त हुए एवं कुल 17 प्रश्न उत्तरित तथा 130 प्रश्न अनागत हुए।

इस सत्र में कुल 82 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए।

8. मुख्यमंत्री प्रश्नकाल -

मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न, जिनके मौखिक उत्तर मुख्यमंत्री द्वारा सभा में दिये गये, वे इस प्रकार हैं:-

दिनांक	क्र० सं०	माननीय सदस्य	संक्षिप्त विषय
04.08.2014	1.	श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह	राज्य में कोयला तथा लोहा के अवैध उत्खनन में संरक्षण के मामले में पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध सी.बी.आई. जाँच के सम्बन्ध में।
	2.	श्री जगरनाथ महतो	शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी नियमावली में बदलाव के सम्बन्ध में।
	3.	श्री पौलुस सुरीन	तोरपा में बेरोजगारों को रोजगार से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
	4.	श्री बंधु तिकी	अल्पसंख्यक विद्यालयों के निमित्त नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में।
	5.	श्रीमती बिमला प्रधान	विकलांग जननीति की राशि खर्च किये जाने तथा निःशक्यता आयुक्त की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
	6.	श्री विनोद कुमार सिंह	नियुक्तियों में दिये जानेवाले प्रमाण पत्रों को अभ्यर्थी द्वारा स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न किये जाने सम्बन्धी केन्द्र सरकार की भाँति अधिसूचना निर्गत करने के सम्बन्ध में।
	7.	श्री उमाशंकर अकेला	राशन विक्रेताओं के कमीशन में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
	8.	श्री बन्ना गुप्ता	वृद्धा पेंशन आदी बी.पी.एल. से इतर व्यक्तियों को भी दिये जाने के सम्बन्ध में।

9	श्री अनन्त प्रताप देव	लाभुकों को योजनाओं का लाभ खाता के माध्यम से दिये जाने के सम्बन्ध में।
10.	श्री विष्णु प्रसाद भैया	जामताड़ा में बी.एड. कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में।
11.	श्री दीपक बिरूवा	पेसा कानून के तहत ग्रामसभा की सहमति से जमीन अधिगृहित किये जाने के सम्बन्ध में।
12.	श्री रघुवर दास	केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को भी अंतर्वासी (Indoor) चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।
13.	श्री अमित कुमार यादव	झारखण्ड लोकसभा आयोग की पाँचवी प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जाँच किये के सम्बन्ध में।
14.	श्री मथुरा प्रसाद महतो	डी.भी.सी. एवं पंचेत परियोजना के विस्थापितों को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।
15.	श्री सत्यानंद झा	बंगलादेशी घुसपैठियों पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।
16.	श्री जनार्दन पासवान	राज्य के पुलिसकर्मियों को दुरुह भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।
17.	श्री ग्लेन जोसेफ ग्लॉस्टन	मैक्लुस्कीगंज में रेलवे साईडिंग बंद किये जाने के सम्बन्ध में।
18.	श्री अरुण चटर्जी	सहियाओं के मानदेय में वृद्धि किये के सम्बन्ध में।

9. शून्यकाल -

दिनांक	सूचना की संख्या
02.08.2014	19
04.08.2014	17
05.08.2014	21
06.08.2014	22
कुल	79

इसप्रकार, इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 79 शून्यकाल की सूचनाएँ पढ़ी गईं अथवा पढ़ी गई मानी गयीं ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना -

दिनांक	प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना की संख्या	स्वीकृत	सदन में वक्तव्य
01.08.2014	13	05	----
02.08.2014	11	05	0
04.08.2014	09	05	01
05.08.2014	10	08	05
06.08.2014	0	----	03
कुल	43	23	09

इसप्रकार, इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा कुल 43 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ दी गयीं जिसमें कुल 23 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ सभा में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गईं। सरकार द्वारा कुल 09 ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर वक्तव्य सभा में दिया गया। शेष 14 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु सौंपा गया।

11. निवेदन -

इस सत्र में कुल 18 स्वीकृत निवेदनों को नियम 263(1) के तहत विभागों को भेजने पर सभा की सहमति हुई।

12. गैर सरकारी संकल्प -

इस सत्र में दिनांक -06.08.2014 को कुल 20 स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प समिति को सुपूर्द किये गये।

13. कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (A.T.R.) का सभा-पटल पर रखा जाना -

दिनांक-01.08.2014

संसदीय कार्य मंत्री, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा कार्य संचालन नियमावली के नियम 244(2) के अधीन तृतीय झारखण्ड विधानसभा के त्रयोदश सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (A.T.R.) की एक प्रति सभा-पटल पर रखी गयी।

दिनांक-04.08.2014

सभा सचिव द्वारा त्रयोदश सत्र में माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं से सम्बन्धित विषयों पर विभाग से प्राप्त उत्तरों की संकलित प्रति सभा-पटल पर रखी गयी।

14. सभा मेज पर कागजात रखा जाना -

दिनांक	विषय	भारसाधक सदस्य
05.08.2014	भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 2012-13 से सम्बन्धित प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।	वित्त मंत्री
06.08.2014	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 25 (1) के अधीन झारखण्ड सूचना आयोग से प्राप्त वर्ष-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी।	संसदीय कार्य मंत्री

15. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन -

दिनांक	प्रतिवेदन	सभापति
04.08.2014	1. सामान्य प्रयोजन समिति का तृतीय, चतुर्थ, पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदन।	श्री विनोद कुमार सिंह
	2. याचिका समिति का अष्टम् एवं नवम् प्रतिवेदन।	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन
	3. निवेदन समिति का चौदहवाँ एवं पंद्रहवाँ प्रतिवेदन।	श्री जनार्दन पासवान
	4. प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन
	5. सरकारी उपक्रम समिति का बारहवाँ एवं तेरहवाँ प्रतिवेदन।	श्री मथुरा प्रसाद महतो
	6. अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन।	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा

16. सभा को सूचना का दिया जाना -

दिनांक-05.08.2014

आसन द्वारा दिनांक-06.08.2014 को भोजनावकाश के समय ग्रुप फोटोग्राफी के संबंध में सूचना दी गयी।

17. आसन से नियमन / निदेश / घोषणा -

दिनांक-01.08.2014

आसन द्वारा राष्ट्रीय कल्याण पक्ष के श्री चमरा लिण्डा, स0वि0स0, तथा झारखण्ड जनाधिकार मंच श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 को भारतीय संविधान की अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में विलय की अनुमति क्रमशः दिनांक-02.03.2014 तथा 05.03.2014 से किये जाने की घोषणा की गयी।

दिनांक-02.08.2014

1. श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0, श्री जगरनाथ महतो, स0वि0स0 तथा श्री रामदास सोरेन स0वि0स0 द्वारा स्थानीयता नीति लागू किये जाने की मांग की गयी। श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 ने झारखण्ड गठन के उपरांत अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा नियमित किये जाने सम्बन्धी प्रकाशित समाचार के संदर्भ में स्थानीय नीति लागू करने के पश्चात् ही नियुक्ति का अनुरोध किया जिसका समर्थन श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 ने भी किया। इस संबंध में आसन द्वारा सूचित किया गया कि सरकार स्थानीयता की नीति को सदन में लायेगी एवं दिनांक-04.08.2014 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय को लाये जाने सम्बन्धी नियमन दिया।
2. श्री साईमन मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा अपने पैतृक आवास पर हुए हमले की जाँच कर दोषी को दंडित किये जाने की मांग किये जाने पर आसन से निदेश दिया गया कि सरकार जाँच कराकर आवश्यक कार्रवाई करे, इस संबंध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आई.जी., दुमका से जाँने की घोषणा की गयी।
3. श्री प्रदीप यादव, नेता, विधायक दल एवं बाबूलाल मराण्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) द्वारा अपने दल के चार माननीय सदस्यों सर्वश्री समरेश सिंह, श्री निर्भय कुमार शाहबादी, श्री जय प्रकाश सिंह भोगता एवं श्री चंद्रिका महथा द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आसन द्वारा प्राप्त पत्रों के अनुसरण में सम्बन्धित सदस्यों से स्थिति स्पष्ट करने एवं इस मामले के निर्णय होने तक सदन में होनेवाले मतदान से वंचित रहने तथा सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार बने रहने की घोषणा की गयी।

दिनांक - 04.08.2014

1. माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री अर्जुन मुण्डा द्वारा दिनांक-02.08.2014 को दिये गये पत्र के आलोक में माननीय श्री लक्ष्मण गिलुवा, मुख्य सचेतक (विपक्ष) के सांसद चुने जाने के उपरांत उक्त रिक्त पद पर श्री बड़कुवर गागराई, स0वि0स0 को मुख्य

सचेतक (विपक्ष) के रूप में दिनांक-02.08.2014 के प्रभाव से मान्यता दिये जाने की घोषणा आसन से की गयी।

2. प्रदीप यादव, नेता, विधायक दल एवं बाबूलाल मराण्डी, केन्द्रीय अध्यक्ष, झारखण्ड विकास मोर्चा (प्र0) द्वारा अपने दल के श्री फूलचन्द मण्डल, स0वि0स0 द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कारण भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में आसन द्वारा प्राप्त पत्रों के अनुसरण में सम्बन्धित सदस्यों से स्थिति स्पष्ट करने एवं इस मामले के निर्णय होने तक सदन में होनेवाले मतदान से वंचित रहने तथा सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार बने रहने की घोषणा की गयी।

दिनांक-06.08.2014

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा गलत उत्तर भेजे जाने के संदर्भ में सभी विपक्षी सदस्य विरोधस्वरूप खड़े होकर शोरगुल किये जाने पर आसन द्वारा इस संबंध में नियमन दिया गया कि यदि विभागीय सचिव द्वारा गलत उत्तर भेजा गया है, तो उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला चलेगा।

18. विशेष वाद-विवाद -

दिनांक-04.08.2014

श्री बड़कुवार गागराई, स0वि0स0 एवं श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तावित "राज्य में कानून व्यवस्था (लॉ एण्ड ऑर्डर) की स्थिति" पर विशेष वाद-विवाद को श्री बड़कुवार गागराई, स0वि0स0 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे श्री अर्जुन मुण्डा, नेता, प्रतिपक्ष द्वारा प्रारंभ किया गया; जिसमें माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुवा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, श्री बन्ना गुप्ता, श्री बंधु तिकी, श्री मिस्त्री सोरेन, श्री जनार्दन पासवान एवं श्री सौरभ नारायण सिंह ने भाग लिया ; जिसपर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

दिनांक-05.08.2014

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 द्वारा "राज्य की स्थानीय नीति पर " विशेष वाद-विवाद पर चर्चा प्रारंभ की गयी जिसमें श्री बंधु तिकी, स0वि0स0 एवं श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 ने भाग लिया।

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सौरभ नारायण सिंह, बड़कुवार गागराई, जगरनाथ महतो, गुरुचरण नायक, जनार्दन पासवान, रघुवर दास, माधवलाल सिंह, दीपक बिरुवा, अनन्त प्रताप देव, सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं साईमन मराण्डी ने भी भाग लिया, जिसपर माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सरकारी वक्तव्य दिया गया।

दिनांक-06.08.2014

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, स0वि0स0 द्वारा "राज्य में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति " पर विशेष वाद-विवाद की चर्चा प्रारंभ की गयी जिसमें माननीय सदस्य श्री उमाकान्त रजक, श्रीमती सुधा चौधरी, श्री मथुरा प्रसाद महतो, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सत्यानंद झा, श्री जनार्दन पासवान, श्री नलिन सोरेन, श्रीमती गीता कोड़ा ने भाग लिया।

माननीय सदस्य श्री अनन्त प्रताप देव, श्रीमती सुधा चौधरी एवं श्री संजय कुमार सिंह यादव द्वारा पलामु एवं गढ़वा को सूखाग्रस्त घोषित करने की माँग की गयी साथ ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्य द्वारा पूरे झारखण्ड को अकालग्रस्त घोषित करने की माँग किये गये। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी तदुपरांत आसन द्वारा पलामु क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति पर जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु विशेष समिति गठित किये जाने की घोषणा की गयी।

19. सभा में विशेष समिति का गठन -

दिनांक-06.08.2014 को "राज्य में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति " पर विशेष वाद-विवाद के दौरान आसन द्वारा पलामु क्षेत्र में सुखाड़ की स्थिति की जाँच हेतु विशेष समिति का गठन किया गया।

20. विविध चर्चा -

दिनांक - 02.08.2014

श्री बड़कुवर गागराई, स0वि0स0 द्वारा शिलागाँई में घटित घटना की जाँच सी.बी.आई. से की जाने की माँग की गयी।

माननीय सदस्य सर्वश्री उमाशंकर अकेला, श्री अमित कुमार यादव, श्री गुरुचरण नायक, श्रीमती मेनका सरदार, श्रीमती बिमला प्रधान, श्री सत्यानंद झा आदि भी शिलागाँई में घटित घटना की जाँच सी.बी.आई. से की जाने की माँग की।

दिनांक - 04.08.2014

1. आजसू पार्टी के माननीय सदस्यगणों द्वारा स्व0 तिलेश्वर साहू की हत्या की जाँच सी.बी.आई. से की जाने की माँग की गयी।
2. श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा अखबारों में प्रकाशित समाचार की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मृतक कांवरियों के आश्रितों के मुआवजा दिये जाने की माँग की गयी जिसका समर्थन श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा की गयी। इसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रभावित परिवारों को आज ही मुआवजा दिये जाने की घोषणा सदन में की गयी।
3. श्री रामदास सोरेन, स0वि0स0 ने टाटा मोटर्स बाई सिक्स के कर्मचारी श्री सकला हाँसदा जो दिनांक-16.07.2014 को रात्रि ड्यूटी हेतु घर से निकलने के उपरांत

गायब होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किये एवं उससे खोज निकालने की माँग की गयी, जिसे आसन द्वारा सरकार को संज्ञान में लिये जाने का निदेश दिया गया।

4. श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 एवं श्री उमाशंकर अकेला ने उत्तराखंड में हुए त्रासदी में राहत कार्य के दौरान झारखण्ड के शहीद के परिजनों का अनसन समाप्त करवाने एवं आश्रितों को मुआवजा तथा नौकरी दिये जाने की माँग की गयी, जिसपर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया।
5. भोजनावकाश के दौरान माननीय अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में माननीय सदस्यों के गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी स्लाईडिंग के अवलोकन करने के पश्चात् आसन द्वारा माननीय सदस्यों को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया।
6. श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा बिरसा चौक के धरना स्थल पर अवस्थित गेट के कारण आम नागरिकों, विद्यार्थियों को हो रही असुविधाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए Foot over bridge के निर्माण तथा झारखण्ड सरकार द्वारा 1974 के आंदोलन में भाग लेनेवाले व्यक्तियों को सम्मान पेंशन देने की माँग की गयी।

दिनांक-05.08.2014

श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा बिरसा चौक तथा डी.पी.एस. के पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर लाठी चार्ज तथा अश्रुगैस छोड़े जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसपर आसन द्वारा इसकी जाँच कराये जाने का नियमन दिया गया।

संसदीय कार्यमंत्री ने सभा को सूचित किया कि इसकी जाँच कराकर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

दिनांक-06.08.2014

1. माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो, श्री उमाकान्त रजक, श्री कमल किशोर भगत एवं श्री चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा झारखण्ड आन्दोलनकारियों को सुविधा प्रदान किये जाने की माँग की गयी।
2. श्री रघुवर दास, स0वि0स0 द्वारा रैली से लौट रहे कार्यकर्त्ताओं के सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा की माँग किये जाने पर आसन द्वारा इसे संज्ञान में लिये का निदेश दिया गया।
3. श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 द्वारा रिम्स के शिशु वार्ड में वेंटिलेटर नहीं होने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान में लिया।

4. श्रीमती सुधा चौधरी, स0वि0स0 ने एन.आर.एच.एम. के अनुबंधकर्मियों द्वारा अपने स्थायीकरण के संबंध में किये जा रहे अनसन की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।
5. श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 ने जमशेदपुर स्थित गरीबों की बस्ती में टाटा प्रबंधन द्वारा पानी बंद किये जाने एवं इसे चालू करवाने की ओर ध्यान आकृष्ट किया।
6. श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 द्वारा आसन की अनुमति से बोकारो में विस्थापितों को नौकरी एवं मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जो नियमानुकूल नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया।
7. श्री बंधु तिर्की ने बेड़ो स्थित रैलीगढ़ा में कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में हो रहे रैगिंग की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया एवं इसपर रोक लगाये जाने की माँग की जिसपर आसन द्वारा सरकार को संज्ञान में लिये जाने हेतु निदेश दिया गया।
8. श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 ने चिकित्सा की राशि ढाई लाख तथा बी.पी.एल. परिवारों के लिये आय के आधार पर राशि निर्धारित किये जाने एवं प्रोन्नत वनपालों के पदस्थापन की माँग की, इसपर आसन के निदेश से सरकार द्वारा संज्ञान में लिया गया।
9. श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 द्वारा झारखण्ड राज्य में रेंजर के रिक्त पड़े 90 पदों पर नियुक्ति तथा चिकित्सा सुविधा हेतु रानी चिल्ड्रेन अस्पताल को भी सूची में शामिल करने की माँग की गयी।

21. वित्तीय कार्य -

दिनांक-01.08.2014

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, (प्रभारी मंत्री, वित्त) द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए 1956,36,14000 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट सभा में उपस्थापित किया गया तथा आसन द्वारा उक्त तिथि को 3.00 बजे अप0 तक कटौती प्रस्ताव प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना सदन को दी गई।

दिनांक-02.08.2014

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, वित्त मंत्री द्वारा "मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग" से सम्बन्धित माँग पेश की गयी। श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा वाद-विवाद प्रारंभ किया गया जिसमें श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0, श्री रघुवर दास, स0वि0स0, श्री राजेश रंजन, स0वि0स0 एवं श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 ने भाग लिया। चर्चा के उपरांत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं "मंत्रिमंडल

सचिवालय एवं समन्वय विभाग” की मांग सभा द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् अनुदान में शामिल शेष मांगें सभा द्वारा गिलोटिन के माध्यम से स्वीकृत की गयीं।

22. विधायी कार्य -

इस सत्र में पारित कुल विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

सभा में उपस्थापन एवं पारित होने की तिथि	विधेयक	प्रभारी मंत्री
02.08.2014	झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
05.08.2014 (प्रवर समिति)	झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध, व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
05.08.2014	झारखण्ड अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, 2014	श्रीमती गीताश्री उरांव
05.08.2014	झारखण्ड सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2014	श्री हुसैन अंसारी
05.08.2014	झारखण्ड जल संसाधन नियामक प्राधिकार विधेयक, 2014	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी
05.08.2014	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
06.08.2014	झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह
06.08.2014	झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट्स डिसीसेस एण्ड नौक्सिएस वीड्स (संशोधन) विधेयक, 2014	श्री योगेन्द्र साव
06.08.2014	झारखण्ड राज्य कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2014	श्री योगेन्द्र साव
06.08.2014 (प्रवर समिति)	झारखण्ड अमेटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014	श्रीमती गीताश्री उरांव

इसप्रकार, इस सत्र में पुरःस्थापित कुल 10 विधेयकों में से 08 विधेयकों को सभा में पारित किया गया एवं 02 विधेयकों को सदन में विचार के क्रम में दिनांक-05.08.2014 को "झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध, व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2014 " तथा दिनांक-06.08.2014 को "झारखण्ड अमेटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 " को प्रवर समिति को सौंपा गया।

23. प्रवर समिति

दिनांक-05.08.2014

"झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध, व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2014" को श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सदन में पुरःस्थापित किया, परन्तु माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सौरभ नारायण सिंह, श्री बंधु तिर्की एवं श्री अनन्त प्रताप देव द्वारा इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने की माँग किये जाने पर भाजपा, झाविमो(प्रा.) तथा सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य ने भी इसका समर्थन किया; जिसपर माननीय मंत्री ने 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दिये जाने हेतु इसे प्रवर समिति को सौंपा, जिसपर सदन की सहमति हुई।

दिनांक-06.08.2014

1. आसन से "झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध, व्यक्तियों एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण) विधेयक, 2014" पर सभा की प्रवर समिति के गठन की घोषणा की गयी, जिसमें श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, सभापति, श्री हाजी हुसैन अंसारी, मंत्री, झारखण्ड सरकार, सदस्य, श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0, सदस्य, श्री सत्यानंद झा, स0वि0स0, सदस्य, श्री जनार्दन पासवान, स0वि0स0, सदस्य, श्री नलिन सोरेन, स0वि0स0, सदस्य, श्रीमती गीता कोड़ा, स0वि0स0, सदस्य।
2. "झारखण्ड अमेटी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 " को श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग ने सदन में पुरःस्थापित किया, परन्तु सभा की सहमति नहीं होने के कारण आसन द्वारा इसे 30 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दिये जाने हेतु प्रवर समिति को भेजे जाने की घोषणा की गयी।

24. विशेषाधिकार समिति के प्रारूप प्रतिवेदन पर सभा का विनिश्चय

श्री संजय प्रसाद यादव, स0वि0स0 द्वारा गोड्डा के तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री दिलीप कुमार झा के विरुद्ध तत्कालीन विधान-सभा अध्यक्ष के सभापतित्व में विशेषाधिकार समिति की दिनांक-18.06.2011 की बैठक में श्री झा को विशाषाधिकार हनन की दोषी माना गया। वर्तमान विधान-सभा अध्यक्ष के सभापतित्व में दिनांक-

13.01.2014 की बैठक में दिनांक-18.06.2011 के बैठक में निर्णय पर समिति के सदस्यों ने मत भिन्नता के कारण इस विषय को दिनांक-06.08.2014 की कार्यसूची में सभा के विनिश्चय हेतु शामिल किया । दिनांक-18.06.2011 की बैठक में लिये गये निर्णय पर सभा की सहमति हुई।

25. शोक प्रकाश -

दिनांक-01 अगस्त, 2014 को विगत सत्र और इस सत्र के बीच दिवंगत हुए राजनेताओं, समाजसेवियों, साहित्यकारों एवं कलाकारों यथा –स्व0 गोपीनाथ मुण्डे, तपन सिकंदर, ताराकांत झा, जनार्दन रेड्डी, बीरेन्द्र प्रसाद सिंह, भुखला भगत, चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव, ईश्वरीराम पासवान, बंगारु लक्ष्मण, एस0 मल्लिकार्जुनैया, चंद्रशेखर सिंह, जगदीश चौधरी, रामप्रवेश राय, प्रो0 वीरकेश्वर प्रसाद सिंह, गुणेश्वर सिंह, महावीर चौधरी, तिलेश्वर साहु, उदय कुमार सिंह तथा गिरिराज किशोर, अधिवक्ता देवी प्रसाद, हास्य कवि हुल्लड़ मुरादाबादी, रंगमंच कलाकार जोहरा सहगल एवं खुशवंत सिंह आदि प्रमुख हैं, इनके अतिरिक्त संत कबीर नगर में दिनांक-26 मई, 2014 को हुए रेल हादसा, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दिनांक-11 मई, 2014 को नक्सलियों द्वारा किये गये बारुदी सुरंग विस्फोट में शहीद हुए पुलिसकर्मी, असम के दो जिलों में आतंकियों द्वारा मारे गये लोगों, रायगढ़ में हुए रेल हादसे, दुमका जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों, आई.एन.एस. सिंधुरत्न पनडुब्बी हादसे में शहीद ले0 मनोरंजन कुमार, 29 जुलाई, 2014 को मारे गये कांवरियों, रांची के चान्हों में हुई घटना में मारे गये दशरथ उरांव, शिमला बस दुर्घटना में मृत 20 व्यक्तियों तथा पुणे में हुए भू-स्खलन की घटना में मारे गये लोगों के प्रति सभा द्वारा शोक-संवेदना प्रकट की गई एवं दो मिनट का मौन रखा गया।

26. सभा का स्थगन

दिनांक	कार्यवाही की अवधि	अन्तराल	स्थगन की अवधि
01.08.2014	11.10 पू0 – 12.00 मध्या0		11.00 पू0 - 11.10 पू0
02.08.2014	11.05 पू0 – 11.35 पू0	सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को 01.00 अप0 से 02.00 अप0 तक ।	11.35 पू0 - 12.05 अप0
	12.05 अप0 – 12.15 अप0		12.15 अप0 - 12.50 अप0
	12.50 अप0 – 12.55 अप0		12.55 अप0 - 01.00 अप0
	02.05 अप0 – 04.45 अप0		02.00 अप0 - 02.05 अप0
04.08.2014	11.10 पू0 - 01.10 अप0	अप0 से 02.00 अप0	11.00 पू0 - 11.10 पू0
	02.20 अप0 - 06.10 अप0		02.00 अप0 – 02.20 अप0
05.08.2014	11.10 पू0 – 01.00 अप0	तक ।	11.00 पू0 - 11.10 पू0
	02.20 अप0 – 07.05 अप0		02.00 अप0– 02.20 अप0
06.08.2014	11.15 पू0 – 01.05 अप0		11.00 पू0 - 11.15 पू0
	02.25 अप0 – 07.40 अप0		02.00 अप0 – 02.25 अप0

माननीय अध्यक्ष महोदय के समापन भाषण के साथ ही दिनांक -06.08.2014 को सभा की कार्यवाही अप0 07.40 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।
